



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270703  
CG-DL-E-06032026-270703

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947

No. 48]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च 2026

मामला संख्या एडी (एसएसआर)-15/2025

**विषय:** चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स" के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

- फा .सं .7/31/2025-डीजीटीआ.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) से आयातित 'कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स' (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।
- अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि पहले नहीं हटाया जाए, तो लगाए जाने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की

संभावना है। इसी के अनुरूप, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

**क. पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि**

3. मूल पाटनरोधी जांच अधिसूचना संख्या 6/8/2020-डीजीटीआर दिनांक 9 मई 2020 के माध्यम से प्रारंभ की गई थी। तत्पश्चात प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 8 जून 2021 की अधिसूचना संख्या 6/8/2020-डीजीटीआर के माध्यम से अधिसूचित किए, जिनके आधार पर अधिसूचना संख्या 47/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 अगस्त 2021 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
4. इसके पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन एवं शुल्क वृद्धि की आवश्यकता का दावा करते हुए आवेदक द्वारा दायर आवेदन के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/17/2022-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2022 के माध्यम से एक मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत की। प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, अंतिम जांच परिणाम सं. 7/17/2022-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2023 के माध्यम से शुल्क में वृद्धि करने की सिफारिश की। तत्पश्चात वित्त मंत्रालय ने मूल अधिसूचना संख्या 13/2023-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 नवंबर 2023 के माध्यम से पाटनरोधी उपायों में संशोधन को लागू किया।
5. पूर्वोक्त पाटनरोधी शुल्क 27 अगस्त 2026 तक प्रभावी है। अतः वर्तमान आवेदन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने के लिए दायर किया गया है।

**ख. विचाराधीन उत्पाद**

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित किया गया था, जो निम्नानुसार है:

*"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स" है।*

*8. विचाराधीन उत्पाद रासायनिक रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड से लेपित माइकेनियस तथा चमकीला पर्लेसेंट पिगमेंट है, जिसे वाणिज्यिक रूप से बाजार में टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कोटेड माइका पर्ल पिगमेंट या पर्ल लस्टर पिगमेंट्स या पर्ल पिगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। यह रंग प्रदान करने और अन्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कुछ अकार्बनिक पिगमेंट/रंगकारी पदार्थ जो चमकदार/शाइनी या फ्रॉस्टेड प्रभाव देते हैं, उदाहरणस्वरूप पर्लेसेंट प्रभाव, धात्विक प्रभाव आदि, जो कोटिंग, स्याही और प्लास्टिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं।"*

7. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 32 के अंतर्गत उपशीर्ष 320611 में किया जाता है। मध्यावधि समीक्षा में यह पाया गया कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद भी विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य एचएसएन कोडों के अंतर्गत आयात किया जा रहा था। अतः शुल्क को एचएस कोड 3206 49 90, 3206 19 00, 3204 17 59, 3204 17 39, 3204 17 20, 3204 17 90 तथा 3207 10 40 पर भी विस्तारित किया गया। वर्तमान जांच में भी इन्हीं कोडों पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक द्वारा निम्नलिखित पीसीएन पद्धति प्रस्तावित की गई है:

पिगमेंट का प्रकार	एन – नेचुरल माइका पिगमेंट
अनुप्रयोग	ए – आटोमोटिव एन – गैर-आटोमोटिव
रंग	एस – सिल्वर जी – गोल्ड आई – इरीडिसेंट ई – अर्थ टोन्स (ब्रांज/कॉपर/मैरून) ओ – अन्य
पार्टिकल आकार (डी50)	ए – सुपर फाइन (15 से कम) बी – फाइन (15-20)

सी – मीडियम (20.1-30)
डी – लार्ज (30.1-50)
ई – वेरी लार्ज (50 से अधिक)

9. संबद्ध जाँच में हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

**ग . समान वस्तु**

10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तथा दोनों समान वस्तुएँ हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबंधित देश से आयातित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं, अतः नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। समान वस्तु के मुद्दे की प्राधिकारी द्वारा मूल जांच तथा मध्यावधि समीक्षा जांच में पहले ही जांच की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु, संबंधित देश में उत्पादित एवं वहाँ से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

**घ . घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

11. यह आवेदन मेसर्स सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक द्वारा चीन से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया गया है। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा कुल उत्पादन और कुल आयातों की दृष्टि से काफी कम है।

12. प्रदत्त सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' है तथा आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

**ङ . संबद्ध देश**

13. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

**च . जांच की अवधि**

14. आवेदक ने जांच की अवधि 01 अक्टूबर 2024 से 31 सितंबर 2025 तक प्रस्तावित की थी। प्राधिकारी ने जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि को स्वीकार किया है। क्षति जांच अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच अवधि शामिल होगी।

**छ . कथित पाटन का आधार**

**सामान्य मूल्य**

15. आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है और यह दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए तथा चीन जन गण के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन गण के उत्पादक यह सिद्ध नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से लागत एवं कीमत से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूँकि बड़ी संख्या में पीसीएन शामिल हैं, इसलिए निर्यात आँकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अतः आवेदक ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर भारत में देय कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में प्रस्तावित किया है। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर, भारत में एसजीए व्यय तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत समायोजन करते हुए किया गया है।

17. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें तथा विधिवत साक्ष्यांकित दावे करें।

**निर्यात कीमत**

18. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों में यथा सूचित सीआईएफ कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, हैंडलिंग व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत तथा मालसूची वहन लागत आदि के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

**पाटन मार्जिन**

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है। प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में निरंतर पाटन किया जा रहा है।

**ज. क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना एवं कारणात्मक संबंध**

20. आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही लगातार क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती एवं कीमत ह्रास ने घरेलू उद्योग को पूर्ण लागत की वसूली तथा उचित आय अर्जित करने से रोका है। आवेदकों को वित्तीय हानि, नकद लाभ में भारी गिरावट तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान जांच में आगे और क्षति की संभावना है और अधिशेष क्षमता, क्षमता विस्तार, आयातों के संभावित ह्रासकारी प्रभाव आदि के संबंध में अन्य जानकारी प्रस्तुत की है।
21. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं तो संबंधित देश से पाटन के जारी रहने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना बनी रहेगी।

**झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत**

22. आवेदक के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन तथा आवेदन द्वारा पाटन एवं क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर वर्तमान में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा तथा यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्कों की समाप्ति पर पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

**ञ. प्रक्रिया**

23. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6में यथा विहित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

**ट. सूचना प्रस्तुत करना**

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला आईडी -एडी/एसएसआर/28112025/ 01के अंतर्गत अपलोड की जाएँगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फॉर्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जाँच शुरुआत अधिसूचना और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित ढंग और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) तथा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक

कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

#### ठ. समय-सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी एडी/एसएसआर/28112025/01 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित (से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।
30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों की अवधि, इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में उपर्युक्त उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
31. **पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार:** यदि प्राधिकारी किसी उत्तरवर्ती सूचना के माध्यम से पीयूसी तथा पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं, जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो जाँच शुरूआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी तथा पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहाँ जाँच प्रारंभ होने के पश्चात पीयूसी तथा पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के उक्त समय-विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से अतिरिक्त किसी और समय-विस्तार का अनुरोध पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा।
32. समय बढ़ाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उक्त पैराग्राफ में उल्लिखित मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
34. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित (करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
35. ऐसी अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय "सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहाँ सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना) जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो( के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

38. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
39. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
40. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।
41. गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

**ण . सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

**त . असहयोग**

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 5h March 2026

**CASE No. AD (SSR)- 15/2025**

**Subject: Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duties imposed on imports of " Natural Mica Pearl Industrial Pigments excluding Cosmetic Grade " originating in or exported from China PR.**

1. **F. No. 7/31/2025-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “Anti-Dumping Rules”), Sudarshan Chemical Industries Limited (hereinafter referred to as “applicant” or “domestic industry”) has filed an application with the Designated Authority for initiation of sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duties on the imports of ‘Natural Mica Pearl Industrial Pigments excluding Cosmetic Grade’ (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration) from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of

dumping and injury.

**A. Background of previous investigation.**

3. The original anti-dumping investigation was initiated vide notification no. 6/8/2020-DGTR dated 9th May 2020. Thereafter, the Authority recommended anti-dumping duty vide final findings File No. 6/8/2020-DGTR, dated the 8th June 2021, which was levied vide Notification No. 47/2019-Customs (ADD) dated 26th August, 2021.
4. Thereafter, based on an application filed by the applicant alleging changed circumstances and need for enhancement of duties, the Designated Authority initiated a mid-term review investigation vide Notification No. 7/17/2022-DGTR dated 30th September 2022. The Authority after concluding that there were changed circumstances, recommended the enhancement of duty vide final finding No. 7/17/2022-DGTR dated 27th September 2023. Subsequently, the Ministry of Finance imposed amendment to the anti-dumping measures imposed in the original vide notification No.13/2023-Customs (ADD) dated 22nd November 2023.
5. The aforesaid anti-dumping duty is in force till 27th August 2026. Thus, the present application is being filed for initiation of sunset review investigation, to examine the need for continuation of existing anti-dumping duty.

**B. Product under consideration.**

6. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

*“7. The product under consideration in the present investigation is "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade”.*

*8. The product under consideration is chemically titanium dioxide coated micaceous and lustrous pearlescent pigment and is commercially known in the marketplace as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Lustre Pigments or Pearl Pigments. It is extensively used to impart colours and other effects such described as certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/ shinning frosted effects, such pearlescent effects, metallic effects, for coating. inks and plastics application.”*

7. The subject goods are classified under Chapter 32 of the Customs Tariff Act under the subheading 320611. In the mid-term review, it was found that that post imposition of anti-dumping duty, the product under consideration was also being imported under different HSN codes. The duties were therefore extended to HS codes - 3206 49 90, 3206 19 00, 3204 17 59, 3204 17 39, 3204 17 20, 3204 17 90 and 3207 10 40 also. The same codes have been considered for the present investigation. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration
8. The applicant has proposed the following PCN methodology.

<b>Type of Pigment</b>	N – Natural mica pigment
<b>Application</b>	A – Automotive N – Non-automotive.
<b>Colour</b>	S – Silver G – Gold I – Iridescent E – Earth tones (Bronze/ Copper/ Maroon) O – others
<b>Particle Size (D50)</b>	A – Super fine (below 15) B – Fine (15-20) C – Medium (20.1-30) D – Large (30.1-50) E – Very large (above 50)

9. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

**C. Like article.**

10. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant

and those imported from the subject country, and both are like articles. The product produced by the applicant and those imported from the subject country is comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation and the mid-term review investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

**D. Domestic industry and standing.**

11. The application has been filed by Sudarshan Chemical Industries Limited. The applicant is the sole producer of the product under consideration in India. The applicant has imported the product under consideration from China. It is seen that the imports of the product under consideration are miniscule in volume when seen in relation to total production and total imports.
12. Based on the information provided, it is seen that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

**E. Subject country.**

13. The subject country for the present SSR investigation is China PR.

**F. Period of investigation.**

14. The applicant had proposed 01 October 2024 – 31 September 2025 as the period of investigation. The Authority has considered the period proposed by the applicant for the purpose of the investigation. The injury investigation period will cover the period of 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

**G. Basis of alleged dumping.**

**Normal value**

15. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
16. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. Since large number of PCN are involved export data cannot be relied upon. Therefore, the applicant has claimed normal value based on price payable in India based on cost of production of the domestic industry. For the purpose of initiation, the normal value has been determined based on price paid or payable in India with reasonable adjustments for SGA expenses and profit in India.
17. The interested parties are advised to offer their comments and make duly substantiated claims with regard to methodology to be adopted for determination of normal value.

**Export price**

18. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, handling expense, inland freight, credit costs and inventory carrying cost.

**Dumping margin**

19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level. It is *prima facie* seen that the dumping margin is positive. This *prima facie* establishes that product under consideration is continued to be dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

**H. Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link**

20. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the continued injury suffered by the

domestic industry because of the dumped imports. The price undercutting and price suppression caused by dumped imports have prevented the domestic industry to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicants are suffering from financial losses, significant decline in cash profits, and negative return on capital employed. The applicants have also claimed that there is a likelihood of further injury in the present investigation and provided information on surplus capacities, capacity expansion, likely suppressing effect of imports and other information.

21. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows likelihood of continuation of dumping from the subject country and the consequent injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duties

**I. Initiation of sunset review investigation.**

22. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**J. Procedure**

23. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation.

**K. Submission of information.**

24. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal ([https:// setu. dgtr. gov. in/](https://setu.dgtr.gov.in/)). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID- AD/SSR/28112025/01. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
25. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in/>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion /meeting schedule, notice of oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

**L. Time limit.**

28. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal ([https://setu.dgtr.gov.in](https://setu.dgtr.gov.in/)) under their registered name and corresponding case ID- AD/SSR/28112025/01. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
30. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this Initiation Notification.
31. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.
32. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered

**M. Submission of information on a confidential basis.**

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
34. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
35. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

**N. Inspection of public file.**

42. All non-confidential versions of submissions made by any interested parties will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**O. Non-cooperation.**

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority